Net Banking

पत्र संख्या-आई0टी0 अनुभाग/(2010-11) 706 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश
(आई0 टी0 अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक: 16 : नवम्बर,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

यह पाया गया है कि अधिकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं में जमा कर की धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में पहुँचाने के लिए विभागीय अधिकारियों की प्रति माह ड्यूटी लगायी जाती है, जो माह के अन्तिम सप्ताह में विभिन्न बैंकों की शाखाओं में जाकर जमा कर की धनराशि को बैंक की मुख्य शाखा एवं तदुपरान्त भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में भिजवाने के कार्य का अनुश्रवण करते हैं। इस प्रकार इन अधिकारियों का प्रत्येक माह लगभग 10 दिन का समय इस कार्य में व्यय होता है, जबकि इस कार्य से विभाग के राजस्व संग्रह में कोई वृद्धि नहीं होती है। स्पष्टतया बैंकों की विभिन्न शाखाओं में जमा कर की धनराशि को कोषागार तक पहुँचाने की अन्य व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि अधिकारी अपने समय व श्रम का उपयोग उक्त अनुत्पादक कार्य में करने के बजाय प्रदेश की राजस्व वृद्धि में कर सकें।

विभिन्न अधिकृत बैंकों की शाखाओं में जमा कर की धनराशि को बैंक की मुख्य शाखा एवं तदुपरान्त भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में भेजने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रक्रिया एवं समयावधि निर्धारित की गयी है। इसी के अनुरुप व्यवस्था उ0प्र0 वैट नियमावली के नियम-13 में भी रखी गयी है। अत: आवश्यक है कि बैंकों के साथ इस बिन्दु पर बैठक करके उनको इस व्यवस्था के अनुरुप स्वत: कार्य करने की अनिवार्यता स्पष्ट की जाय। साथ ही आवश्यकतानुसार इस बिन्दु पर जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता में भी बैठकें कराई जाय। बैंकों द्वारा इस व्यवस्था के अनुरुप स्वत: कार्य करने से बैंकों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाने की आवश्यकता कम हो जायेगी तथा अधिकारी अपना समय अन्य उत्पादक कार्यो में लगा सकेंगें।

उक्त के अतिरिक्त व्यापारियों के बीच नेट-पेमेंण्ट को भी बढावा दिये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में 6 बैंकों-भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा करदाताओं को नेट-पेमेंण्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। हाल में ही बैंकों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बैंक के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी थी कि वह नेट-पेमेण्ट की व्यवस्था के प्रचार-प्रसार के लिए अन्य उपाय करने के साथ-साथ इसे और अधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली बनाने के लिए बाजारों में कैम्प लगाकर करदाताओं के साथ बैठकें करें तथा इन बैठकों में विभागीय अधिकारियों को भी आमत्रित करें। कृपया ऐसी बैठकों में न्यूनतम ज्वाइण्ट कमिश्नर स्तर के अधिकारी द्वारा भाग लिया जाना सुनिश्चित करते हुए बैंकों को ऐसी बैठके आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित भी करने का कष्ट करें ताकि अधिकाधिक करदाता नेट-पेमेण्ट व्यवस्था के माध्यम से कर का भुगतान करने को प्रेरित हों।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ